



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 139/2017 धारा- 363,366,376 भा०द०सं० व 4 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रावेन्द्र उर्फ रवीन्द्र पुत्र मनीराम केवट निवासी अकौना थाना कदौरा जनपद जालौन को दोषसिद्ध करते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास व 14,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



विशेष लोक
अभियोजक रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
उ०नि० भोजराज
अवस्थी



पैरोकार
थाना- कोतवाली नगर
का० रजनीश कुमार